


दिनांक:- 07.09.2018

एड्वास और मॉर्डन मेडिकल कालेज, भोपाल में सत्र 2016-17 के प्रवेशित छात्रों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनःआवंटन / प्रवेश किये जाने हेतु छात्रों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. छात्रों के आवंटन / प्रवेश एमपी ऑनलाईन पोर्टल dme.mponline.gov.in पर किया जायेगा।
2. छात्रों को काउंसिलिंग संबंधी सूचना एस0एम0एस0 / विज्ञापन / ई-मेल / दूरभाष के माध्यम से यथा संभव दिया जायेगा।
3. सामान्य छात्रों का आवंटन नीट 2016 की मेरिट के आधार पर तैयार की गयी संयुक्त मेरिट लिस्ट से किया जायेगा। अनिवासी भारतीय छात्रों का आवंटन मध्य प्रदेश आर्युविज्ञान द्वारा जारी की गयी प्रथम प्रोफ की परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त किये गये अंको के आधार पर तैयार की गयी संयुक्त मेरिट लिस्ट से किया जायेगा।
4. सामान्य छात्र च्वाइस फिलिंग हेतु पोर्टल पर दिये गये लिंक को क्लिक करने के उपरांत अपने नीट यू.जी 2016 के रोल नं एवं जन्मतिथि के माध्यम से च्वाइस फिलिंग कर पायेंगे। एन.आर.आई छात्र मेरिट लिस्ट में दर्शाये गये रोल नं. एवं जन्मतिथि के माध्यम से च्वाइस फिलिंग कर पायेंगे।
5. छात्रों को प्रक्रिया में भाग लेने हेतु एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर च्वाइस फिलिंग करनी होगी। च्वाइस फिलिंग करते समय छात्र को उसकी प्राथमिकता के आधार पर सभी 06 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का विकल्प दर्ज करना होगा। च्वाइस फिलिंग उपरान्त छात्र को च्वाइस लॉक करना अनिवार्य होगा। च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग निर्धारित समय सीमा में ही किया जाना होगा। छात्र द्वारा च्वाइस लॉक कर दिये जाने के उपरान्त किसी तरह का संशोधन (Edit) संभव नहीं होगा। किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना इत्यादि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

6. च्वाइस फिलिंग के पश्चात छात्र को रूपये-1000/- (रु. एक हजार) ऑनलाईन जमा करना होगा, तभी छात्र की च्वाइस लॉकिंग हो पायेगी, एवं च्वाइस लॉकिंग की रसीद प्राप्त कर सकेगा।
7. च्वाइस फिलिंग के समय छात्र अपना सही ई-मेल एवं मोबाईल नंबर दर्ज करें। आवंटन परिणाम जारी होने के उपरान्त आवंटन पत्र सही ई-मेल एवं मोबाईल नंबर प्रविष्ट करने पर ही डाउनलोड होगा।
8. छात्रों को नवीन आवंटन उनके विकल्प एवं मेरिट का परस्पर मिलान करते हुये किया जायेगा।
9. मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी छात्रों को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय निवासी छात्रों के आवंटन के उपरान्त ही राज्य के बाहर के छात्रों का आवंटन होगा।
10. आवंटन उपरान्त छात्र को आवंटित संस्था में समय सारणी में दर्शाई समय सीमा में प्रवेश पूर्ण करना होगा।
11. माननीय उच्च न्यायालय इंदौर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर भारत सरकार एवं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार जिस शासकीय महाविद्यालय में छात्र प्रवेशित होंगे वहाँ प्रवेश के समय छात्र को वर्तमान सत्र 2018-19 के लिए पूर्व में प्रवेशित निजी चिकित्सा महाविद्यालय की निर्धारित फीस संबंधित शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में जमा कराना होगा। पाठ्यक्रम पूर्ण हाने तक प्रत्येक सत्र में यही फीस देय होगी।
12. प्रवेशित छात्रों को अपने मूल दस्तावेज पूर्व में प्रवेशित निजी मेडिकल कालेज से स्वयं प्राप्त कर नवीन संस्था में जमा कराने होंगे।
13. संबंधित प्रश्नों के समाधान एवं स्पष्टीकरण हेतु mpugpg2018@gmail.com पर मेल करो।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का निर्णय मान्य होगा।


07.09.18
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश